कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि रवां, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि बलाई, शिव जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध वीरेन्द्र सिंह यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 536/2021 वीरेन्द्र सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 536/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 (संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2021) द्वारा अपीलार्थी वीरेन्द्र सिंह यादव को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 2 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निरतारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हृदय रोग से पीड़ित होने एवं अपनी निकट सेवानिवृति के मद्देनजर अपना पदस्थापन अलवर जिले मे प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपीलार्थी श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि बलाई, शिव जिला बाड़मेर का पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए उनका समायोजन राउमावि सिली बावड़ी, थानागाजी जिला अलवर (216432) किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/वीरेन्द्र सिंह/536/2021/144 दिनांकः 18/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर/अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बाड़मेर/अलवर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि बलाई, शिव जिला बाड़मेर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)